न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO), भीण्डर जिला उदयपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारी : पवर्त सिह चुण्डावत, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 451/21 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2021/335

अनवान्

श्रीमती केसरबाई पिता गुलाबदान चारण निवासी बरोडिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....प्रार्थीया

बनाम

श्रीमती दीपिका कुंवर पत्नि दुर्गासिंह देवडा निवासी देबारी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर राज. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री नारायण लाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थीया।
2. श्री मुकेश डांगी, अधिवक्ता विपक्षीया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक :– 17.10.2023

र्थीयां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया सके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बरोडिया पटवार हल्का बरोडिया तहसील भीण्डर की ता संख्या नया 14 की आराजी नम्बर 595, 597 से 599, 601 से 610, 611/1 किता 15 रकबा 14 ा 09 बिस्वा उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में 1/3 हिस्सा प्रार्थीया के नाम और 2/3 हिस्सा क्षीगण के नाम दर्ज है।

कि विपक्षीया ने भूमि खरीद से अपने नाम दर्ज करवा ली है। विपक्षीया और प्रार्थीया अलग–अलग एवं जाति की है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की पैतृक है। विपक्षीया एक अजनबी व्यक्ति है जो क्त खातेदारी की वादग्रस्त भूमि का बिना बंटवाडा कराये प्रार्थीया के हक, हिस्से, कब्जे में लान्दाजी स्वयं एवं अपने पति, परिवारजनों से करती है जबकि ऐसा करने का उन्हे कोई कानूनी धिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि के पास एक ओपन वैल (कुंआ) एवं आराजी नंबर 600 व आराजी र 605 में एक ट्युबवैल है जिससे सिंचाई करने में भी विपक्षीया एवं उसके पति, परिवारजन दखल चाते है। प्रार्थीया गरीब काश्तकार महिला है जो अपने हितों की रक्षार्थ बंटवाडा एवं अस्थाई षेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर रही है।

कि प्रार्थीया रेकर्डड काबिज खातेदार काश्तकार है और भूमि प्रार्थीया की पैतृक है जिससे प्रार्थीया प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी ने पर विपक्षीया को किसी तरह की कोई क्षति होने का प्रशन ही नहीं है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा ारी नहीं होने पर प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों, पैसों में नहीं आंका जा कता है क्योकि प्रार्थीया आजीविका का एकमात्र स्त्रात काष्त ही है। अतः निवेदन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.12.14 17:08:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया ग्रस्त आराजीयात के प्रार्थीया के हिस्सा, कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग में तथा (कुआ), ट्युबवैल से सिंचाई करने में विपक्षीया स्वयं अपने परिवारजन, नौकर, ऐजेन्ट दखलान्दाजी नहीं करे न ही अन्य से करावे तथा विपक्षीगण रेकर्ड की यथास्थित रखाने बा निषेधाज्ञा फरमावें।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं जवाब पेश करना नहीं चाहा। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उ विपक्षीया संख्या 1 सम्पूर्ण भूमि पर काबिज होकर काश्त उपयोग–उपभोग करती चली प्रार्थीया वर्तमान में अपने ससुराल में रह रही है जिसका उक्त भूमि पर कोई कब्जा व हक

5. यह कि प्रार्थीया का यह कहना सही है कि विपक्षीया संख्या 1 ने उक्त भूमि खरीद कर अप कराई है। यह कहना गलत है कि विपक्षीया संख्या 1 अजनबी व्यक्ति हो, बल्कि विपक्षीया पांच वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग–उपभोग कर रही है। वर्तमान फसल बो रखी है तथा उक्त संपूर्ण भूमि पर बाउण्ड्रीवॉल बना रखी है प्रार्थीया द्वारा वादग्र अपने भाई, माता व स्वयं द्वारा बैह कर विपक्षीया संख्या 1 को कब्जा सिपुर्द कर दिया वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का कोई कब्जा नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीया द्वारा कब्जेय लाये बिना बंटवाडें व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश न सकता है। बिना कब्जेयाबी के उक्त प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर काबिल निरस्त योग्य है गलत है कि वादग्रस्त भूमि का बिना बंटवाडा कराये प्रार्थीया के हक व हिस्से में दखलन्द संख्या 1 एवं उसका पति, परिवारजन आदि कर रहे हों जबकि विपक्षीया संख्या 1 ने भ खुदवा गहरा करा उसको पक्का कर उस पर विद्युत कनेक्शन करवाया एवं मौके पर खुदवाई है जिसका उपयोग–उपभोग विपक्षीया संख्या 1 करती चली आ रही है जिसमे कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थीया अपने ससुराल में आबाद होकर ससुराल में ही विपक्षीया संख्या 1 को प्रार्थीया आये दिन जान से मारने की धमकी देती रहती है। विपक्ष महिला होकर प्रार्थीया से हमेशा भय बना रहता है।

6. यह कि विपक्षीया संख्या 1 को प्रार्थीया के भाई भरतदान ने उक्त संपूर्ण भूमि को विपक्ष को अपनी माता श्रीमती जीवी बाई व प्रार्थीया के हक हिसे सहित उक्त संपूर्ण भूमि सिपुर्द कर देने के पश्चात उक्त भूमि पर प्रार्थीया का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है। उक्त भमि पर विपक्षीया संख्या 1 काबिज होकर काश्त, कर उपयोग उपभोग करती है। उक्त भूमि पर विपक्षीया संख्या 1 द्वारा काफी आबादान कर उपजाऊ योग्य बना र व प्रार्थीया अपने ससुराल में रह रही है जिसका उक्त भूमि पर कोई हक, अधिकर व मात्र जमाबंदी में नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीया, विपक्षीया संख्या 1 को परेशान व नीयत से उक्त झूंठा मुकदमा माननीय न्यायालय में पेश किया है जो काबिल निरस्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थ बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Parvat Singh Chundawat
Date: 2023.12.14 17:08:24 IST
Reason: SelfAttested

वेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया था प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:–

प्रथम दृष्टया मामला– प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 का नाम सह खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीया को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। चूंकि प्रकरण में विपक्षी सं. 1 खातेदार है एवं खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग–उपभोग करने का पुरा पुरा अधिकार है, ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध टी. आई नही दी जा सकती है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

सुविधा का संतुलन – चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के विरूद्ध साबित हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया के विरूद्ध साबित होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीया के विरूद्ध में निर्णित किया जाता है।

अपूरणीय क्षति– चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

मैं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 2 के नाम पर दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा बंटवाडे व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। विपक्षी सं. 1 खातेदार होने से खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग–उपभोग का पुरा अधिकार है। प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णित किये गये है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जायेगें। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.12.14 17:08:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सुनाया गया।